मा0 निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की आहूत नवम् बैठक दिनांक 04.06.2026 की कार्यवृत्त :—

पत्रांक 278/प्र–1/007–नि०म०बै०–004/2026 दिनांक 16/06/2026

मा0 निदेशक मण्डल की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति :—

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. डॉ० राज शेखर, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. डॉ० राजेश कुमार प्रजापति, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री प्रभाष कुमार, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. सुश्री सुमन वाजपेयी, अपर निदेशक (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,उ०प्र० शासन, लखनऊ।
6. श्री मंजीत सिंह, अनु सचिव (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
7. श्री शहजाद अहमद अंसारी, वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री गिरीश चन्द्र (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
10. श्री अभिषेक दत्ता, राज्य सलाहकार (अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०, लखनऊ।
11. डॉ० मुकेश मातनहेलिया, सं0निदेशक(अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

उक्त के अतिरिक्त श्री जोगिन्दर सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं डॉ0 अम्बरीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन भी उपस्थित रहें।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा मा० निदेशक मण्डल के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। मा० निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं मा० अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय निम्नवत लिये गये :—

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
09.01	मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अष्टम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अष्टम बैठक दिनांक 19.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त बुक (रजिस्टर) में चस्पा कर मा0 अध्यक्ष महोदय से अवलोकित करा लिया गया।
09.02	मा० निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अष्टम् बैठक के अनुपालन की स्थिति।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा अष्टम् बैठक दिनांक 19.11.2025 को लिये गये निर्णयों के अनुपालन को संज्ञान में लेते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः— (क) 15 प्रतिशत से अधिक के वैरियेशन स्वीकृति करने हेतु उत्तरदायी कार्मिक यथा श्री आर0बी0 राम, मुख्य अभियन्ता, श्री एस0के0 बर्मन, मुख्य अभियन्ता, श्री विशेश्वर प्रसाद, मुख्य अभियन्ता, श्री पी0के0 खण्डेलवाल, कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता संप्रति से0नि0 एवं श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक जांच की कार्यवाही को 02 माह में पूर्ण कराया जाये। (ख) विभागीय कार्यवाहियों में जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कई प्रकरण काफी समय से लम्बित है। विगत 01 वर्ष से अधिक समय से लम्बित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण 03 माह में करा लिया जाये तथा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही का विस्तृत विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
		(ग) जनपद प्रतापगढ़ में फण्ड डायवर्जन के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में अपूर्ण 16 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि रू0 3737.45 लाख (18 % GST, Centage & Labour Cess सहित) की मॉग के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में डायवर्जन हेतु अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरूद्ध वसूली एवं कोर्ट केस की स्थिति से अवगत कराया जाये तथा प्रकरण में जितनी धनराशि की वसूली नहीं हुयी है अथवा वसूली हेतु आदेश नहीं निर्गत किये गये हैं, का आकलन करा लिया जाये तथा उक्त धनराशि को छोड़ते हुये शेष धनराशि के आधार पर कार्यों को कराये जाने हेतु कार्य योजना शासन से स्वीकृत कराकर संबंधित कार्यों को पूर्ण कराया जाये। (घ) जनपद–मीरजापुर अन्तर्गत फण्ड डायवर्जन के कारण वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के अपूर्ण 05 नग पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु न्यूनतम धनराशि कर सहित रू0 386.65 लाख एवं लम्बित देयता रू0 145.59 लाख कुल धनराशि रू0 532.24 लाख की कार्य योजना तैयार कराकर शासन से स्वीकृत कराते हुये तद्नुसार धनराशि की स्वीकृति की कार्यवाही करायी जाये। (च) श्री भोज राज सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 527/007–2014–02–0042 (आ०क्षे०) दिनांक 30.03.2019 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 20.06.2019 के क्रम में नामित जांच अधिकारी के पत्रांक 28 दिनांक 23.04.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह स्पष्ट हुआ कि श्री भोजराज सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा कराये गये 102 नग टी0टी0एस0पी0 का ही निर्माण कराया गया है अतः अवशेष 322 नग टी0टी0एस0पी0 हेतु उत्तरदायी कार्मिको के संबंध में उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। (छ) श्री शैलेन्द्र सिंह कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0–1243/007–2019 –02–0013(वा0क्षे0) दिनांक 01.10.2020 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2021 के संदर्भ में अधि0अभि0, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी के पत्रांक 1951 दि0 21.07.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कुल वित्तीय हानि रू0 1993.40 लाख की उपलब्ध करायी गयी सूचना के दृष्टिगत मा0 निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि श्री शैलेन्द्र सिंह कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कुल कितनी धनराशि की वित्तीय हानि की गयी है, के आकलन हेतु उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
09.03	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2024—25 की बैलेंसशीट तथा आय—व्यय विवरण पत्र का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेन्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2024—25 की बैलेंसशीट तथा आय—व्यय के विवरण पत्र का अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.04	उ0प्र0 जल निगम के विभाजन के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अंतरित किये गये कार्मिकों के जी0पी0एफ0 की शार्टफाल की धनराशि राजस्व मद से जी0पी0एफ0 मद में सावधि जमा के रूप में विनियोजित किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा पूर्ववर्ती उ0प्र0 जल निगम के विभाजन के उपरान्त उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को अंतरित किये गये कार्मिकों के जी0पी0एफ0 की शार्टफाल की धनराशि राजस्व मद से जी0पी0एफ0 मद में सावधि जमा के रूप में विनियोजित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.05	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों / पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा पूर्व की भांति यथावत प्रचलित रखने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों / पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा पूर्व की भांति यथावत प्रचलित रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.06	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की माह मार्च—2026 तक विद्युत देयकों की धनराशि रू0 102.15 करोड़ पर विद्युत सरचार्ज की धनराशि रू0 34.05 करोड़ के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की माह मार्च—2026 तक विद्युत देयकों की धनराशि रू0 102.15 करोड़ पर विद्युत सरचार्ज की धनराशि रू0 34.05 करोड़ के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.07	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत कान्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ग्रामीण) C&DS (Rural) की स्थापना तथा उसके संगठनात्मक ढांचे, कार्मिक व्यवस्था एवं पॉच वर्षीय वित्तीय विकास योजना के अनुमोदन हेतु मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत कान्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ग्रामीण) C&DS (Rural) की स्थापना तथा उसके संगठनात्मक ढांचे, कार्मिक व्यवस्था एवं पॉच वर्षीय वित्तीय विकास योजना के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुये अग्रेतर सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
09.08	जनपद लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में स्थित आफिसर्स ट्रांजिट हास्टल (Right Wing) की मरम्मत / नवीनीकरण एवं अपग्रेडशन से सम्बन्धित कार्यों के डी0पी0आर0 की अनुमानित लागत Rs.584.83 Lacs (Work Cost-Rs 491.46 Lacs and Gst & Labour Cess Cost- Rs. 93.37 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में स्थित आफिसर्स ट्रांजिट हास्टल (Right Wing) की मरम्मत / नवीनीकरण एवं अपग्रेडशन से सम्बन्धित कार्यों के डी0पी0आर0 की अनुमानित लागत Rs.584.83 Lacs (Work Cost-Rs 491.46 Lacs and Gst & Labour Cess Cost- Rs. 93.37 Lacs) की मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को अधिकृत किया गया।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
09.09	Old Retro Pipe Water Suppy Scheme जो कि भौतिक रूप से 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के भुगतान हेतु राजस्व मद से अग्रिम ली गयी धनराशि रू0 188.85 Crore की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा Old Retro Pipe Water Suppy Scheme की भौतिक रूप से 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के भुगतान हेतु राजस्व मद से अग्रिम ली गयी धनराशि रू0 188.85 Crore की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.10	WQMS Programme के अन्तर्गत जल परीक्षण प्रयोगशाला के देयकों के भुगतान हेतु राजस्व मद से अग्रिम ली गयी धनराशि रू0 1.63 Crore की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा WQMS Programme के अन्तर्गत जल परीक्षण प्रयोगशाला के देयकों के भुगतान हेतु राजस्व मद से अग्रिम ली गयी धनराशि रू0 1.63 Crore की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.11	**उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत कार्यालयों, अनुभागों व स्वीकृत पदों के पुनर्गठन एवं आवश्यकतानुसार पदों में वृद्धि/कमी एवं IT Cadre के पदों का आकलन एवं सृजन तथा पदों को भरने हेतु प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 167/प्र–1/007–002/26 दिनांक 16.04.2026 एवं ज्ञाप संख्या 505/प्र–1/007–002/24 दिनांक 29.10.2024 द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट –**	
	A — उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत जिन 05 जनपदो में खण्ड कार्यालय स्थापित नही है, उन 05 जनपदों यथा सम्भल, गौतमबुद्धनगर बुलन्दशहर, एटा एवं हमीरपुर, में खण्ड कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत 05 जनपदों यथा सम्भल, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, एटा एवं हमीरपुर में खण्ड कार्यालय स्थापित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	B — उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत शासन से स्वीकृत मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के 02 पद एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) के 04 पद के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के 01 पद एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) के 04 पद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत शासन से स्वीकृत मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के 02 पद एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) के 04 पद के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के 01 पद एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) के 04 पदों के सृजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मद सं०		एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1		2	3
	C	खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), आगरा के नियन्त्रणाधीन सतही स्रोत आधारित कार्य एवं नमामि गंगे के कार्य अत्याधिक होने के कारण खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), आगरा के कार्य को पुनर्गठित करते हुए 01 खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), अलीगढ़ नव सृजित करने एवं मण्डल कार्यालय (वि0/यां0), अयोध्या एवं कानपुर के वृहद कार्यक्षेत्र को पुनर्गठित करते हुये 02 मण्डल कार्यालय (वि0/यां0), गोरखपुर एवं आगरा नव सृजित करने एवं खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), सोनभद्र के नियन्त्रणाधीन वृहद कार्यक्षेत्र के दृष्टिगत 06 जनपदों में से 03 जनपद यथा बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ के कार्यों को खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), वाराणसी के कार्यक्षेत्र के अधीन किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश अन्तर्गत जिन मण्डलों में खण्ड कार्यालय (वि0/यां0) स्थापित नहीं है, उन मण्डलों में खण्ड कार्यालय (वि0/यां0) स्थापित करने एवं तद्नुसार मण्डल कार्यालय (वि0/यां0) के कार्य क्षेत्र को पुर्नगठित करते हुये आवश्यक मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) नवसृजित करने हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
	D	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत गठित IT Cadre में मुख्यालय/क्षेत्र/ मण्डल/खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर साइन्स/आई0टी0 संवर्ग के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर की तैनाती नियमित/ आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अन्तर्गत गठित IT Cadre में मुख्यालय/क्षेत्र/मण्डल/खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर साइन्स/ आई0टी0 संवर्ग के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर की तैनाती नियमित/आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने का अनुमोदन प्रदान करते हुये मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।
09.12		बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र की पूर्व निर्मित 243 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण मद में प्रत्येक पाइप पेयजल योजनान्तर्गत प्रदान किये गये धनराशि रू0 30.00 लाख से कम की आवश्यकता के सापेक्ष रू0 858.46 लाख की मा0 निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र की पूर्व निर्मित 243 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण मद में प्रत्येक पाइप पेयजल योजनान्तर्गत प्रदान किये गये धनराशि रू0 30.00 लाख से कम की आवश्यकता के सापेक्ष रू0 858.46 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
09.13		प्रदेश की पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं (बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र को छोड़कर) के ग्राम जिनमें नियमित जलापूर्ति सुचारू रूप से किये जाने हेतु अल्प कमियों को दूर कराने के लिये 54 जनपदों में 2828 ग्रामों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख से कम की आवश्यकता के सापेक्ष निर्गत धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	प्रदेश की पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं (बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र को छोड़कर) के ग्राम जिनमें नियमित जलापूर्ति सुचारू रूप से किये जाने हेतु अल्प कमियों को दूर कराने के लिये 54 जनपदों में 2828 ग्रामों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख से कम की आवश्यकता के सापेक्ष निर्गत धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

मद सं०		एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1		2	3
09.14		राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित सेवा प्रदाता फर्म यथा टी एण्ड एम सर्विसेज कन्सल्टिंग प्रा0 लि0, मुम्बई के माध्यम से सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (सिविल एवं वि0/यां0) की तैनाती हेतु कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित सेवा प्रदाता फर्म यथा टी एण्ड एम सर्विसेज कन्सल्टिंग प्रा0 लि0, मुम्बई के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (सिविल एवं वि0/यां0) की तैनाती हेतु कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान करते हुये मा0 निदेशक मण्डल द्वारा मेरिट के आधार पर सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (सिविल एवं वि0/यां0) को चिन्हित करते हुये अग्रिम समस्त कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।
09.15		प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–101/प्र–1/0007 –008/2026 दिनांक 24.02.2026 द्वारा श्री आर0के0 शर्मा, से0नि0 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) को संविदा के आधार पर दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 28.02.2027 तक मुख्य सलाहकार (तकनीकी) के पद पर की गयी नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–101/प्र–1/0007–008/2026 दिनांक 24.02.2026 द्वारा श्री आर0के0 शर्मा, से0नि0 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) को संविदा के आधार पर दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 28.02.2027 तक मुख्य सलाहकार (तकनीकी) के पद पर की गयी नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
09.16		प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के का0ज्ञा0 सं0–202/प्र–1/007–स्थानान्तरण नीति/2026 दि0 14.05.2026 द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह–क, ख, ग एवं घ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के का0ज्ञा0 सं0–202/प्र–1/007 –स्थानान्तरण नीति/2026 दिनांक 14.05.2026 द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह–क, ख, ग एवं घ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
09.17	A	जनपद–आगरा में याचिक सं0–43160/ 2014 मुन्ना व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी रिव्यू याचिका दाखिल नही करने, खण्ड से स्थानान्तरण उपरान्त प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों को एक दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित न करते हुये लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण श्री महाराज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध नियम–351 (ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली–1961 के नियम–9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक जांच की मा0 निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद–आगरा में याचिका सं0–43160/ 2014 मुन्ना व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी रिव्यू याचिका दाखिल नही करने, खण्ड से स्थानान्तरण उपरान्त प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों को एक दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित न करते हुये लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण श्री महाराज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0–794/009–2025–02–0057(आ0क्षे0) दिनांक 24.12.2025 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जांच की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

मद सं०		एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1		2	3
	B	जनपद–आगरा में याचिका सं0–43160/2014 मुन्ना व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी रिव्यू याचिका दाखिल नही करने, खण्ड से स्थानान्तरण उपरान्त प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों को एक दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित न करते हुये लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण श्री डी0एन0 शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध नियम–351(ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली–1961 के नियम–9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक जांच की मा0 निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद–आगरा में याचिका सं0–43160/2014 मुन्ना व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी रिव्यू याचिका दाखिल नही करने, खण्ड से स्थानान्तरण उपरान्त प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों को एक दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित न करते हुये लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण श्री डी0एन0 शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0–794/009–2025–02–0057(आ0क्षे0) दिनांक 24.12.2025 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जांच की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
	C	जनपद–फिरोजाबाद की दौंकेली रेट्रो पे0यो0, शेखूपुर हाथवंत रेट्रो पे0यो0, साहूमाई रेट्रो पे0यो0 व सहपुर जखई पे0यो0 पाइप पेयजल योजनान्तर्गत अनुबन्धित लागत से क्रमशः 22.47%, 29.19%, 29.27%, 39.12% अधिक का वैरिएशन एवं जनपद–आगरा की भोजपुर, करौधनकला, नादौता, समारा, ऑवलाखेड़, थाना शंकरद्धा, उमरैठा, अरदाया व विद्यापुर पाइप पेयजल योजनान्तर्गत अनुबन्धित लागत से क्रमशः 16.72%, 23.75%, 23.96%, 24.65%, 25.40%, 27.10%, 33.11%, 35.93%, 43.59% अधिक का वैरियेशन अनियमित रूप से स्वीकृत करने, फर्म को जानबूझकर लाभ पहुँचाने, सरकारी धन का दुरूपयोग करने, वित्तीय अनियमितता करने, विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचान के कारण श्री पी0के0 खण्डेलवाल, अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध नियम–351 (ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली–1961 के नियम–9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक जांच की मा0 निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद–फिरोजाबाद की दौंकेली रेट्रो पे0यो0, शेखूपुर हाथवंत रेट्रो पे0यो0, साहूमाई रेट्रो पे0यो0 व सहपुर जखई पे0यो0 पाइप पेयजल योजनान्तर्गत अनुबन्धित लागत से क्रमशः 22.47%, 29.19%, 29.27%, 39.12% अधिक का वैरिएशन एवं जनपद–आगरा की भोजपुर, करौधनकला, नादौता, समारा, ऑवलाखेड़, थाना शंकरद्धा, उमरैठा, अरदाया व विद्यापुर पाइप पेयजल योजनान्तर्गत अनुबन्धित लागत से क्रमशः 16.72%, 23.75%, 23.96%, 24.65%, 25.40%, 27.10%, 33.11%, 35.93%, 43.59% अधिक का वैरियेशन अनियमित रूप से स्वीकृत करने, फर्म को जानबूझकर लाभ पहुँचाने, सरकारी धन का दुरूपयोग करने, वित्तीय अनियमितता करने, विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने के कारण श्री पी0के0 खण्डेलवाल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0–10/009–2025–02–0051(आ0क्षे0) दिनांक 06.01.2026 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जांच की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

मद सं०		एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1		2	3
	D	श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता को निर्गत दण्डादेश सं0–402 / 009–2022–02–0015 (का0क्षे0) दिनांक 10.04.2023, निर्गत दण्डादेश सं0–415 / 009–2022–02–0126(का0क्षे0) दिनांक 12.04.2023 एवं निर्गत दण्डादेश सं0–165 / 009–2022–02–0005(मु0) दिनांक 25.02.2023 को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–14 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन किये जाने एवं निर्गत दण्डादेश सं0–186 / 009–2022–02–0117(का0क्षे0) दिनांक 24.04.2025 के सापेक्ष योजित अपील के निस्तारार्थ मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता को निर्गत दण्डादेशों क्रमशः सं0–402 / 009–2022–02–0015 (का0क्षे0) दि0 10.04.2023, दण्डादेश सं0–415 / 009–2022– 02–0126 (का0क्षे0) दिनांक 12.04.2023 एवं दण्डादेश सं0–165 / 009–2022–02–0005(मु0) दिनांक 25.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रत्यावेदन एवं दण्डादेश सं0–186 / 009–2022–02–0117 (का0क्षे0) दिनांक 24.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदनों दिनांक 29.01.2026 एवं 30.01.2026 का उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
	E	श्री गंगा नारायण मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 82 / 007–2018– 02–0018(सी0एण्ड डी0एस0) दिनांक 12.02.2022 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 01.04.2022 के निस्तारण हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	श्री गंगा नारायण मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 82 / 007–2018–02–0018 (सी0एण्डडी0एस0) दि0 12.02.2022 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दि0 01.04.2022 का उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
	F	श्री सत्यदेव शुक्ला, सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 115 / 007–0752 / 07 दिनांक 24.01.2011 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 24.02.2011 के निस्तारण हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	श्री सत्यदेव शुक्ला, सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 115 / 007–0752 / 07 दिनांक 24.01.2011 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 24.02.2011 का उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
	G	श्री जगदीश कुमार, खण्डीय लेखाकार / सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 618 / 009–2016–01–389(आ0क्षे0) दिनांक 29.10.2024 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दि0 26.01.2025 के निस्तारण हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	श्री जगदीश कुमार, खण्डीय लेखाकार / सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 618 / 009–2016–01–389(आ0क्षे0) दिनांक 29.10.2024 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दि0 26.01.2025 का उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
09.18	तीन स्थायी प्रकोष्ठ यथा (1) सूचना प्रोद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकोष्ठ (IT & AI Cell), (2) समेकित कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र/प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रकोष्ठ (Integrated Command & Control Centre – ICCC/ O&M Cell) एवं (3) एकीकृत मीडिया प्रकोष्ठ (Integrated Media Cell - IMC) के गठन हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा तीन स्थायी प्रकोष्ठ यथा (1) सूचना प्रोद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकोष्ठ (IT & AI Cell), (2) समेकित कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र/प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रकोष्ठ (Integrated Command & Control Centre – ICCC/ O&M Cell) एवं (3) एकीकृत मीडिया प्रकोष्ठ (Integrated Media Cell - IMC) के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुय अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया।
09.19	**A-** विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्मित/अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं रू0 33,212.42 लाख (रू0 तीन सौ बत्तीस करोड़ बारह लाख व्यालिश हज़ार मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट। **B-** विंध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र (9 जनपद) को छोड़कर शेष 66 जनपदों की पूर्ण एवं आंशिक रूप से संचालित कुल 3729 ग्रामीण पेयजल योजनाओं (आच्छादित 6,657 ग्राम) में राज्य O&M नीति के अंतर्गत प्रस्तावित मरम्मत कार्यों हेतु अनुमानित व्यय रू0 65657.04 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	**A-** मा0 निदेशक मण्डल द्वारा विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्मित/अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं हेतु रू0 33,212.42 लाख (रू0 तीन सौ बत्तीस करोड़ बारह लाख व्यालिश हज़ार मात्र।) की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया। **B-** मा0 निदेशक मण्डल द्वारा विंध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र (9 जनपद) को छोड़कर शेष 66 जनपदों की पूर्ण एवं आंशिक रूप से संचालित कुल 3729 ग्रामीण पेयजल योजनाओं (आच्छादित 6,657 ग्राम) में राज्य O&M नीति के अंतर्गत प्रस्तावित मरम्मत कार्यों हेतु अनुमानित व्यय रू0 65657.04 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.20	**A-** जनपद उन्नाव की गुणता प्रभावित 120 नग बस्तियों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट (एफ0आर0यू0) अधिष्ठापित कराये जाने की योजना लागत रू0 778.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट। **B-** प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज–4 से आच्छादित जनपदों (आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, उन्नाव) में अन्तर्गत स्थापित TTSP/FRU इकाईयों की मरम्मत एवं O&M हेतु कुल धनराशि रू 17159.56 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	**A-** मा0 निदेशक मण्डल द्वारा जनपद उन्नाव की गुणता प्रभावित 120 नग बस्तियों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट (एफ0आर0यू0) अधिष्ठापित कराये जाने की योजना लागत रू0 778.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया। **B-** मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज–4 से आच्छादित जनपदों (आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, उन्नाव) में अन्तर्गत स्थापित TTSP/ FRU इकाईयों की मरम्मत एवं O&M हेतु कुल धनराशि रू 17159.56 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	**2**	**3**
09.21	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधीन पूर्व से संचालित/अनुरक्षित की जा रही पेयजल योजनाओं में जल प्रवाह की मॉनिटरिंग हेतु फ्लोमीटर/डिस्चार्ज एवं रेसीड्यूल क्लोरीन सेंसर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु कुल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के 6100 अवर जलाशय पर अधिष्ठापित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधीन पूर्व से संचालित/अनुरक्षित की जा रही पेयजल योजनाओं में जल प्रवाह की मॉनिटरिंग हेतु फ्लोमीटर/डिस्चार्ज एवं रेसीड्यूल क्लोरीन सेंसर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु कुल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के 6100 अवर जलाशय पर अधिष्ठापित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।
09.22	उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के 28 जनपदों में जहां क्षेत्रीय/मण्डल/खण्ड कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं वहां उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के स्वयं के भवनों के निर्माण हेतु रू0 121.06 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के जिन जनपदों में क्षेत्रीय/मण्डल/खण्ड कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, उक्त सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त महानगर एवं मण्डल मुख्यालय पर उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के स्वयं के भवनों के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधिकृत किया गया तथा जिन जनपदों में भूमि उपलब्ध नही है, उनमें भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को शासन के माध्यम से पत्र प्रेषित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
09.23	ई–एमबी/ई–बिल सॉफ्टवेयर प्रणाली में वार्षिक संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) से सम्बन्धित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा रू0 2,32,04,606.00 की वापसी मांग पर मा0 निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णय एवं ई–एमबी/ई–बिल AMC (वर्तमान एवं भावी) का व्यय जल जीवन मिशन के Support funds/ कन्टीजेन्सी मद अथवा अन्य उपयुक्त मद के निर्धारण हेतु उचित निर्णय के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	ई–एमबी/ई–बिल सॉफ्टवेयर प्रणाली में वार्षिक संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) मद में व्यय की जाने वाली धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को अधिकृत किया गया।
अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–		
09.24	प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–934/विधि/006/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा श्री विनय त्रिपाठी, विभागीय अधिवक्ता/विधि सलाहकार को देय प्रतिमाह पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–934/विधि/006 /2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा श्री विनय त्रिपाठी, विभागीय अधिवक्ता/विधि सलाहकार को देय प्रतिमाह पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
09.25	श्री जे0पी0सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 320/007-2019-02-0109 (झां0क्षे0) दिनांक 27.03.2021 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 24.06.2021 के निस्तारण हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।	श्री जे0पी0सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या-320 007-2019-02-0109 (झां0क्षे0) दिनांक 27.03.2021 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 24.06.2021 का उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण कराते हुये उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जाये तथा तदोपरान्त अभिमत सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
09.26	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2026 से मूल वेतन का 262 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट।	मा0 निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व से स्वीकृत मूल वेतन का मंहगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2026 से मूल वेतन का 262 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अरूण कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

(शहजाद अहमद अंसारी)
वित्त निदेशक

(डॉ० राजेश कुमार प्रजापति)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)/ सचिव (प्रशासन)

(प्रभाष कुमार)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण)

(डॉ0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

(अनुराग श्रीवास्तव)
अध्यक्ष